



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के फेज-6.0 के अंतर्गत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों में साइबर जागरूकता अभियान चलाकर छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक।
- ❖ साइबर एक्सपर्ट श्री रक्षित टण्डन के ऑनलाइन लाइव प्रसारण के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा एवं सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के संबंध में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी।

विवरण- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन श्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप प्रदेश में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-6.0) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में साइबर जागरूकता अभियान के माध्यम से छात्राओं एवं महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 15.10.2026 को साइबर एक्सपर्ट श्री रक्षित टण्डन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में लाइव प्रसारण के माध्यम से छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा महिलाओं एवं बालिकाओं की डिजिटल सुरक्षा से आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं सहित बच्चों/किशोरो को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना और उन्हें डिजिटल प्लेटफार्मों पर सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन उत्पीड़न अथवा साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित करना है।

1. महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों के प्रति किया गया जागरूक-

ऑनलाइन लाइव प्रसारण के दौरान साइबर एक्सपर्ट श्री रक्षित टण्डन द्वारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड, अनजान लिंक फ्रॉड, वीडियो कॉल फ्रॉड, APK फाइल फ्रॉड, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, फर्जी प्रोफाइल बनाकर परेशान करना, निजी फोटो एवं वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग तथा अन्य प्रकार की ऑनलाइन अपराधों एवं धोखाधड़ी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर केवल सुरक्षित एवं चयनित कंटेंट देखने तथा अश्लील, आपत्तिजनक एवं भ्रामक सामग्री से दूर रहकर ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग करने के संबंध में जागरूक किया गया। जिसमें सभी को बताया गया कि साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फँसाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें तथा अपनी निजी जानकारी, फोटो, वीडियो एवं बैंकिंग संबंधी विवरण किसी भी स्थिति में साझा न करें।

2. डिजिटल अरेस्ट के प्रति किया गया जागरूक-

डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) फ्रॉड के संबंध में बताया गया कि साइबर अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, कस्टम अथवा अन्य सरकारी एजेंसी के अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डराते हैं तथा फर्जी कानूनी कार्यवाही, गिरफ्तारी अथवा जाँच का भय दिखाकर धनराशि की माँग करते हैं। जिसके सम्बन्ध में जागरूक किया गया कि कोई भी व्यक्ति फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से किसी को वास्तविक रूप से डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। इस तरह के कॉल आने पर घबराएँ नहीं, किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर न करें तथा तत्काल पुलिस को सूचना दें।

3. सोशल मीडिया एवं डिजिटल अकाउंट सुरक्षित रखने के उपाय-

महिलाओं एवं छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया एकाउंट- फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जीमेल आदि सहित अन्य सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग करने के संबंध में निम्नलिखित सावधानियां अपनाने के लिए बताया गया—

- सभी सोशल मीडिया एवं ई-मेल अकाउंट में **टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA)** अथवा **मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA)** अनिवार्य रूप से सक्रिय करें।
- मजबूत एवं अलग-अलग पासवर्ड का उपयोग करें। जहाँ संभव हो, लंबे पासवर्ड या पासफ्रेज का प्रयोग करें तथा पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ कभी भी साझा न करें।
- ओटीपी, वेरिफिकेशन कोड, रिकवरी कोड, बैंकिंग विवरण एवं अन्य किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी किसी भी स्थिति में किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान नंबरों से प्राप्त संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें तथा अनजान स्रोतों से प्राप्त APK फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल न करें।
- सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवसी सेटिंग्स सुरक्षित रखें तथा अनजान व्यक्तियों के साथ निजी फोटो, वीडियो एवं व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें।
- मोबाइल फोन एवं एप्लिकेशन को नियमित रूप से अपडेट रखें तथा अनजान व्यक्तियों के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस किसी भी प्रकार के ऐप्स को मोबाइल फोन, लैपटाप, कम्प्यूटर आदि में इंस्टॉल न करें।
- किसी भी संदिग्ध लॉगिन अथवा अकाउंट के दुरुपयोग की जानकारी मिलने पर तत्काल पासवर्ड बदलें और अकाउंट की सुरक्षा सेटिंग्स की जाँच करें।

4. साइबर अपराध होने की दशा में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया-

किसी भी प्रकार की साइबर अपराध व वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल **राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930** पर संपर्क करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट <https://cybercrime.gov.in> पर शिकायत दर्ज कराएँ। साइबर फ्रॉड की स्थिति में संबंधित बैंक अथवा भुगतान सेवा प्रदाता को भी तुरंत सूचित करें तथा ट्रांजैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट, संदिग्ध मोबाइल नंबर एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन उत्पीड़न, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड अथवा ब्लैकमेलिंग के मामले में भी बिना देरी किए पुलिस को सूचना देने दें।

5. महिला सुरक्षा एवं जनसहायता से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी-

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा एवं सहायता हेतु शासन द्वारा जारी विभिन्न व महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई जिसमें-

- **1090** — महिला पावर लाइन।
- **112** — आपातकालीन पुलिस सहायता।
- **181** — महिला हेल्पलाइन।
- **1098** — चाइल्ड हेल्पलाइन।
- **1930** — साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत।
- **1076** — मुख्यमंत्री हेल्पलाइन।
- **102** — एम्बुलेंस सेवा।
- **108** — आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा।

जनपद बांदा पुलिस की अपील-

जनपद बांदा पुलिस द्वारा आमजनमानस से अपील की जाती है कि वे मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण में सहयोग करें तथा साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के दबाव में आकर धनराशि ट्रांसफर न करें, फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देने वालों से भयभीत न हों तथा किसी भी प्रकार के साइबर अपराध अथवा ऑनलाइन उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें।